न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 219/2021 अपील/चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/235)
पंजीयन दिनांक– 16.04.2021
निर्णय दिनांक– 28.09.2021

1. श्री कालूराम पिता दलीचंद जाट, निवासी दौलतपुरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. **श्री ऊंकार पिता हुडा हरिजन मृतक के बजायः–**
1. श्री कल्लू पिता ऊंकार हरिजन, निवासी आसावरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री मिटठू पिता ऊंकार हरिजन, निवासी आसावरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती चांदी पत्नि ऊंकार हरिजन, निवासी आसावरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती लच्दीबाई पिता ऊंकार हरिजन, निवासी आसावरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़। (बवक्त बहस अनु.)

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
   राजकीय अभिभाषक
3. श्री भरत श्रीमाली – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/4 **(UT बवक्त बहस अनुपस्थित)**

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 14/2013
(राजस्व प्रार्थना पत्र) निर्णय दिनांक 28.05.2015

निर्णय

दिनांक 28.09.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 14/2013 (राजस्व प्रार्थना पत्र) निर्णय दिनांक 28.05.2015 के विरूद्ध दिनांक 22.06.2015 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी के साथ पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 29.11.2019 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 16.04.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 2/विपक्षी को उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा मिसल नम्बर 560/1977 वर्ष 1977 से ग्राम दौलतपुरा, तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 4/2 रकबा 5.00 बीघा भूमि किस्म भू. का. क. को भू–आवंटन नियमों के तहत शर्तो की पालना करने पर आवंटन किया, जिसका नामांतरकरण संख्या 64 दिनांक 27.06.1978 द्वारा राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी हक से अमल दरामद किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 2/विपक्षी को निर्देशित करने के उपरांत भी उसने भूमि आवंटन के 35 वर्ष बाद से अब तक

लम्बी समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी भूमि के संपूर्ण हिस्से पर काश्त नहीं कर आवंटन हेतु नियत शर्तो का उल्लंघन किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 14/2013 (राजस्व प्रार्थना पत्र) निर्णय दिनांक 28.05.2015 से रस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या 2 का आवंटन यथावत बहाल रखा जाने अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.05.2015 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः—*"अतः प्रार्थना पत्र भूमिधारी तहसीलदार अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970) एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा मिसल नम्बर 560/1977 से ग्राम दौलतपुरा की राजकीय बिलानाम आराजी नम्बर 4/2 रकबा 5.00 बीघा भूमि का श्री उंकार पिता हुजा हरिजन, निवासी आसावरा, तहसील भदेसर को किया गया आवंटन यथावत रखा जात है।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट 2/1 से 2/4 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत श्रीमाली द्वारा अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की, वकालत पत्र प्रस्तुत नही किया जाकर बवक्त बहस अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 15.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पश्चात दौराने कार्यवाही अपीलांट ने प्रकरण में पक्षकार मुकदमा

बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवान का प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किये बगैर राजस्व निगरानी निरस्त कर आवंटन आदेश यथावत रखाये जाने का निर्णय पारित कर दिया। विवादित आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपीलांट को दिनांक 09.06.2003 को 1,00101/– रूपये में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तभी से अपीलांट उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग करता चला आ रहा है जिससे अपीलांट प्रभावित पक्षकार था व निगरानी स्वीकार योग्य थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के निगरानी निरस्त कर आवंटन आदेश यथावत रखाये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया, जो अपने आप से अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं था, परंतु अपीलांट ने उक्त आराजीयात दिनांक 09.06.2003 को क्रय कर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा था व अपीलांट ने विचारण न्यायालय में पक्षकार मुकदमा बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर रखा, जिसे अपीलांट विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से प्रभावित पक्षकर होने अपील प्रस्तुत करने की आज्ञा के आवेदन के साथ अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 28.05.2015 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा आवंटन निरस्तीकरण का जो आवेदन रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 के विरूद्ध प्रस्तुत किया, उसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा दिनांक 28.05.2015 को करते हुए तहसीलदार का आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन खारिज किया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने का आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा. दी. का प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2013 को खारिज कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा उक्त अंतरिम आदेश की कोई निगरानी प्रस्तुत नहीं की है तथा उसके द्वारा जो दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें सिर्फ यह वर्णन किया है कि वह विवादित आराजी को 09.06.2003 से क्रय कर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। उसने विचारण न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से प्रभावित पक्षकार है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि दफा 96 जा. दी. के दिये गये आवेदन में वर्णित तथ्यों के क्रम में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के पक्षकार बनने के आवेदन को दिनांक 08.08.2013 को खारिज कर दिया था, जिसकी अपीलाण्ट द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय में जब उसे पक्षकार ही नहीं माना गया तो इस न्यायालय में उसे अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर विशेष रूप से जबकि भूमि किसी अनुसूचित जाति के वर्ग को आवंटित है, उक्त भूमि का इकरारनामे के आधार पर क्रेता मानकर आवश्यक, हितबद्ध व व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाये जाने को कोई चुनौती नहीं देना तथा अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति से इकरारनामे से भूमि क्रय करने के कथित तथ्यों के आधार पर उक्त इकरारनामे ही प्रथम दृष्टया विधिविरूद्ध होने से उसे कदापि आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता एवं तद्नुसार अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती एवं अपीलाण्ट का दफा

96 जा.दी. का आवेदन खारिज किया जाता है। दफा 96 जा.दी. का आवेदन खारिज हो जाने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर